

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१ अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांक :—एफ.18()अम्बे.पुर./ सामान्य/ सान्याअवि/ 2019/

43622

जयपुर, दिनांक

24/०२/२०१९

अम्बेडकर जिला स्तरीय पुरस्कार योजना के दिशा निर्देश

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.18()अम्बे/ सान्याअवि/ 207/ 6269 दिनांक 7.2.2008 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है।

इसी परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जिला स्तर पर उक्त चारों पुरस्कार अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार तथा अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार देने का निर्णय किया है। इस पुरस्कार में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के द्वारा योग्य व्यक्ति/संस्था को 14 अप्रैल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। इसमें कोई नकद राशि देय नहीं है। पुरस्कार के चयन के लिये जिला स्तर पर चयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:—

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)	सदस्य
4	महिला एवं बाल विकास विभाग का जिलाधिकारी	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के द्वारा निम्नानुसार पुरस्कार हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा संस्था का चयन किया जायेगा:—

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	योग्यता
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्ति जिले का मूल निवासी हो/ संस्थान जिले में पंजीकृत हो। उप जिला कलकटर द्वारा उच्च चरित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रीोंतो से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

	अम्बेडकर महिला पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> महिला जिले की मूल निवासी हो / संस्था जिले में पंजीकृत हो। उपर्युक्त जिला कलकटर द्वारा उच्च चारित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। संस्था / महिला कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों / जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका / योगदान रहा हो। संस्था / महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।
3	अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> जिले का मूल निवासी हो। जिला कलकटर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चारित्र प्रमाण पत्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र। अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत हो तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क / न्यून शुल्क पर पैरवी की हो ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों / नियमों में कोई संशोधन करवाया हो / नये अधिनियम / नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।
4	अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> जिले का मूल निवासी हो। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षा में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 1-1 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष में कक्षा 10 के 2 तथा कक्षा 12वीं के 6 कुल 8 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जायेगा।

उक्त पुरस्कार में केवल जिला स्तर पर प्रशस्ति पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती के दिन दिया जायेगा। कोई नकद राशि नहीं दी जायेगी।

- पुरस्कार सीमा :— एक व्यक्ति / संस्था को अपने जीवन काल में जिला स्तर पर केवल एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो कक्षा 12वीं में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था को 15 अगस्त / 26 जनवरी पर जिला स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जायेगा।

पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान :— ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयन्ती पर दिये जायेंगे तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कलकटर से चर्चा कर जयन्ती मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं एवं अमजन को सूचित किया जायेगा।

- 3 इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था/व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनुजनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नहीं किया हो तो जिला स्तरीय समिति स्वयं के स्तर से भी उन्हें अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए पुरस्कृत करने का निर्णय ले सकेगी।
- 4 इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

(अखिल अरोड़ा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :—एफ.18()अम्बे.पुर./ सामान्य/ सान्याअवि/ 2019/ 43623 - 725 जयपुर, दिनांक 24/02/2019
प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. संभागीय आयुक्त.....
7. समस्त जिला कलेकटर,
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
10. निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, मानसरोवर, जयपुर।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
16. संयुक्त निदेशक(आई.टी), मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. आदेश पत्रावली।

(सांवर्समल कम्ती)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव